

प्रेषक,

प्रतिभा सक्सेना,
ए०सी०जे०एम०प्रथम,
जौनपुर।

सेवामें,

श्रीमान ज्वाइंट रजिस्ट्रार,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश, जौनपुर।

विषय:- हाउस रेन्ट की अदायगी के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-
3892 - 3120एडमीन {A} दिनांकित-3/3/11 इलाहाबाद द्वारा मुझे हाउस रेन्ट एलाउन्स क्लेम के
सम्बन्ध में वास्तविक किराये के सर्टीफिकेट को सम्बन्धित जिला जज के द्वारा काउन्टर साईन कराकर
दिये गये किराये के रसीदों की छाया प्रति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः विनम्र निवेदन है कि उक्त अनुक्रम में जिला जज गाजियाबाद द्वारा काउन्टर
साईन किया गया देय किराया प्रमाण पत्र मूल रूप से व अदा किये गये किराये की रसीदों की छाया
प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रही हूँ। किराया धनराशि जिसकी की अदायगी मुझे किया जाना है
मु०८२१३७/रु० है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा
करे।

सादर।

भवदीय,

{ प्रतिभा सक्सेना
23.5.11
[प्रतिभा सक्सेना }
ए०सी०जे०एम०प्रथम,
जौनपुर।

संलग्नक-

1-मूल देय किराया प्रमाण पत्र सर्टीफिकेट मु०८२१३७/रु० जिला जज गाजियाबाद द्वारा काउन्टर
साईन किया गया

2-छाया प्रति किराया रसीद 19 किता माह जुलाई 2007 से जनवरी 2009 तक

दिनांक-

जौनपुर जजिम :

संख्या : जड 618

18th दिनांक, जौनपुर : मई 24, 2011 ई०

ज्वाइंट रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अगुसारित।


जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर।

प्रमाण -पत्र

Revised 14

प्रमाणित किया जाता हैकि मेरे द्वारा माह जुलाई 2007 से जनवरी 2009 तक कुल 19 माह का मु05000/-रूपया प्रतिमाह के हिसाब से मु0 95,000/-रूपया मकान किराया अदा किया है जिसमे से श्रीमान जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद द्वारा दिनांक 01,07,07 से दिनांक 15,12,08 तक मु0 735/-रु के हिसाब से मु0 12,863/-रूपया मकान किराया भत्ता भुगतान किया गया । मेरे द्वारा दिनांक 16,12,08 से जनवरी 2009 तक का कोई भी मकान का किराया भत्ता नही लिया गया है । इस प्रकार मु0 95,000/-रूपये में से मु012,863/-रूपया घटाने पर शेष धनराशि मु082,137/-रूपया बनता है। जिसका कि भुगतान मुझे किया जाना शेष है ।

(प्रतिभा सक्सेना)
(प्रतिभा सक्सेना)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जौनपुर ।

Counter Signed


Distric Judge 29/4/2011
Ghazabad

110001

रसीद किराया

नं० 17

मासिक जायदाद श्री विमलकुमार गुप्ता
 नाम किरायेदार प्रतिभा लक्ष्मी पुत्री आर. रम. लक्ष्मी
 निवासी हापुड़ गा. वा. 4
 मोहल्ला स्थान (जहां जायदाद है) न्यू शिवपुरी जायदाद नं० 2-1/1224

किराया प्रतिमाह	बसकर/ग्रहकर प्रतिमाह	किराया व बसकर-ग्रहकर प्राप्त किया	कुल प्राप्त धनराशि	हस्ताक्षर किराया प्राप्त कर्ता
5000	/	19248 2008	5000/ सेनराशि बाकी	 4/11/08

Photocopy Attached
 Payment verified


नियम व शर्तें : १. किराया प्रति माह में एवबाल देना होगा। २. ग्रहकर, बसकर व अन्यकर अलग से देना होगा। ३. जायदाद में लोड-फोड या बदलाव किरायेदार नहीं करेगा। ४. इच्छानामे व नियम अनुसार किराया बढ़ाना होगा। ५. इससे व्यक्ति को जायदाद में किरायेदार नहीं रहेगा। ६. कोई और कानूनी काम नहीं करेगा। ७. जायदाद खाती करके जायदाद मासिक को छपेगा।

प्राप्ति स्थान : मदन एन्ड को०, हापुड़। 23 2222012

रसीद किराया

नं० 18

मासिक जायदाद श्री विमलकुमार गुप्ता
 नाम किरायेदार प्रतिभा लक्ष्मी पुत्री आर. रम. लक्ष्मी
 निवासी हापुड़ गा. वा. 4
 मोहल्ला स्थान (जहां जायदाद है) न्यू शिवपुरी जायदाद नं० 2-1/1224

किराया प्रतिमाह	बसकर/ग्रहकर प्रतिमाह	किराया व बसकर-ग्रहकर प्राप्त किया	कुल प्राप्त धनराशि	हस्ताक्षर किराया प्राप्त कर्ता
5000	/	19248 2008	5000 सेनराशि बाकी	 4/11/08

Photocopy Attached
 Payment verified


नियम व शर्तें : १. किराया प्रति माह में एवबाल देना होगा। २. ग्रहकर, बसकर व अन्यकर अलग से देना होगा। ३. जायदाद में लोड-फोड या बदलाव किरायेदार नहीं करेगा। ४. इच्छानामे व नियम अनुसार किराया बढ़ाना होगा। ५. इससे व्यक्ति को जायदाद में किरायेदार नहीं रहेगा। ६. कोई और कानूनी काम नहीं करेगा। ७. जायदाद खाती करके जायदाद मासिक को छपेगा।

प्राप्ति स्थान : मदन एन्ड को०, हापुड़। 23 2222012

रसीद किराया

नं० 19

मासिक जायदाद श्री विमलकुमार गुप्ता
 नाम किरायेदार प्रतिभा लक्ष्मी पुत्री आर. रम. लक्ष्मी
 निवासी हापुड़ गा. वा. 4
 मोहल्ला स्थान (जहां जायदाद है) न्यू शिवपुरी जायदाद नं० 2-1/1224

किराया प्रतिमाह	बसकर/ग्रहकर प्रतिमाह	किराया व बसकर-ग्रहकर प्राप्त किया	कुल प्राप्त धनराशि	हस्ताक्षर किराया प्राप्त कर्ता
5000	/	19248 2009	5000/ सेनराशि बाकी	 4/11/08

Photocopy Attached
 Payment verified

नियम व शर्तें : १. किराया प्रति माह में एवबाल देना होगा। २. ग्रहकर, बसकर व अन्यकर अलग से देना होगा। ३. जायदाद में लोड-फोड या बदलाव किरायेदार नहीं करेगा। ४. इच्छानामे व नियम अनुसार किराया बढ़ाना होगा। ५. इससे व्यक्ति को जायदाद में किरायेदार नहीं रहेगा। ६. कोई और कानूनी काम नहीं करेगा। ७. जायदाद खाती करके जायदाद मासिक को छपेगा।

प्राप्ति स्थान : मदन एन्ड को०, हापुड़। 23 2222012